कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/साख/विधि/2017/3159 भोपाल, दिनांक 08.09.2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
समस्त मध्यप्रदेश।

विषयः– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु सक्षमता मापदंड।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/साख/173/04/4662, दिनांक 8.10.04

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा सक्षमता मापदंड निर्धारित किये गये थे। पैक्स के स्थापना एवं अन्य व्ययों में बढ़ोत्तरी होना, अल्पावधि कृषि ऋण में देय मार्जिन का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित बेस रेट से होना, विभिन्न फसलों हेतु ऋणमानों में वृद्धि होना, प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में समितियों के ऋण व्यवसाय में अंतर होना आदि कारणों से उक्त निधारित मापदण्डों में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनगर्ठन के संबंध में पैक्स समितियिों के ऋण व्यवसाय, प्रदेश की भोगोलिक स्थिति तथा कृषक सदस्यों की सुविधा को देखते हुये प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक एवं विभागीय अधिकारियों से विस्तृत विचारविमर्श करने के उपरांत निम्नानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किये जाते है :–

(1) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का न्यूनतम ऋण व्यवसाय रूपये 3 करोड़ होना चाहिए।

(2) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के गठन हेतु न्यूनतम 10 कि.मी. की परीधि का कार्यक्षेत्र, 5000 हेक्टेयर कृषि रकबा तथा 1000 सदस्य संख्या होनी चाहिए।

8/09/17
(आशुतोष अवस्थी)
आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.

पृ. क्रमांक/साख/विधि/2017/3159 भोपाल, दिनांक 08.09.2017

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव,माननीय सहकारिता राज्य मंत्री, म.प्र.शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, सहकारिता, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल ।
5. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, संभाग संमस्त मध्यप्रदेश।
6. उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला समस्त मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8/09/17
आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.